

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/एलएसजी/19/24181

दिनांक 13/02/2019

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त सशि जमा कराने पर शास्ति में दिनांक 31/03/2019 तक निम्नानुसार शत प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 31.03.2019 तक जमा कराने पर
1	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी।
2	नगरीय विकास कर	वर्ष 2018-19 तक का एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर 50 प्रतिशत छूट होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/एलएसजी/19/24182-24636  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक 13/02/2019

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
05. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
06. निदेशक, स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
08. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रागली।

(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी